

21/12/24

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या—06 / वन्यप्राणी—13 / 2021—3251 व0प0, राँची, दिनांक—09/11/2022

कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी की सीमा के अंदर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 के कोडरमा—मेघातरी खण्ड (Km. 27.665 to Km. 47.700) के (four laning) हेतु SBWL/NBWL की स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव के क्रम में मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक द्वारा अनुशंसा निम्नलिखित रूप से दी गयी है :-

- (i) That the User Agency shall construct Fly Over/Over-Bridge by using Piers within the complete stretch of Koderma Wildlife Sanctuary, so as to enable safe crossing of wild animals including elephants.
- (ii) That the User Agency shall commission a study through a reputed agency on the likely adverse impacts on wildlife and its habitat as well as human-wildlife conflict issues with respect to Koderma Wildlife Sanctuary.
- (iii) That a comprehensive Wildlife Conservation Plan shall be drawn by the User Agency in consultation with the PA officials and the cost of implementation of this plan shall be borne by the User Agency at project cost. The said plan must be formulated in accordance with the guidelines laid down by the Wildlife Institute of India, Dehradun and also by the Central Government/Government of Jharkhand from time to time.
- (iv) That the User Agency shall bear the cost of comprehensive soil conservation measures such as construction of retaining wall, breast wall, silt detention dams, gully plugging etc. within 500 meters stretch on both sides of the road passing through the PA so as to control soil erosion and to make the hill slope stable. The soil conservation measures shall be implemented by the Forest Department at project cost.
- (v) That the User Agency shall submit an Undertaking to the effect that during as well as after the implementation of the project they will abide by all instructions issued by the PA officials, aiming towards conservation and protection of wildlife in the area, in letter and spirit.
- (vi) That the User Agency shall assist the State Forest Department towards conservation, protection and development of natural resources as and when required and in the manner

दिनांक-03.02.2022 को माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड-सह-अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य वन्यजीव पर्षद की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य वन्यजीव पर्षद की सम्पन्न हुई 14वीं बैठक की कार्यावली क्रमांक-8 में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 को कोडरमा-मेघातरी खण्ड (Km. 27.665 to Km. 47.700) के दो लेन से चार लेन करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार-विमर्श के क्रम में observe किया गया कि आश्रयणी के अंतर्गत अवस्थित कुल लम्बाई में Piers पर elevated road का निर्माण करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। चूँकि उक्त सड़क पूर्व से ही आश्रयणी के अंदर से गुजरती है तथा उसके चौड़ीकरण के क्रम में यह स्पष्ट नहीं है कि आश्रयणी के वन्यप्राणियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पूर्व में पथ पर चलने वाले वाहनों के कारण वन्यप्राणी से संबंधित कितनी दुर्घटनाएं प्रतिवेदित हैं स्पष्ट नहीं हैं।

SBWL द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि एक “उच्च स्तरीय समिति” गठित कर प्रस्तावित elevated road की आवश्यकता के संबंध में पुनः आकलन कर प्रस्ताव शीघ्र समर्पित किया जाय तथा SBWL की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

उपरोक्त के आलोक में “उच्च स्तरीय समिति” का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम	पदनाम/संस्था	अध्यक्ष/सदस्य
1.	Dr. Yogesh K Dubey.	Professor Indian Institute of Forest Management, Post Box # 357, Nehru Nagar Bhopal (462 003) (MP)	अध्यक्ष
2.	Mr. Ramamurthi Sreedhar	Managing Trustee, Environics Trust, New Delhi; 177, Nebasarai, Main Road, New Delhi-110068, Visiting Faculty: NALSAR, Hyderabad.	सदस्य
3.	Tata Lakshmi Raghu Ram	Chairperson Centre for Ecology & Sustainability XLRI Jamshedpur, Flat No-96 XLRI Campus C.H. Area (East) Jamshedpur-8310001	सदस्य सचिव

- (1) उच्च स्तरीय समिति के Terms of Reference निम्नवत् होंगे :-
 - (a) एक उपयुक्त क्रिया विधि विकसित करके प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 के कोडरमा-मेघातरी खण्ड (Km. 27.665 to Km. 47.700) को दो लेन से चार लेन करने के प्रस्ताव में कोडरमा वन्यजीव आश्रयणी के अंतर्गत अवस्थित कुल लम्बाई में हाथियों सहित जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित कोरिडोर/Crossing बिन्दुओं के संदर्भ में piers पर elevated road के निर्माण की आवश्यकता के संबंध में Comprehensive & Integrated आकलन करना।
 - (b) पूर्व से आश्रयणी के अंतर्गत अवस्थित कुल लम्बाई के वर्तमान पथ पर चलने वाले वाहनों के कारण कोडरमा वन्यजीव आश्रयणी के वन्यजीव और उसके आवास के साथ-साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों पर प्रतिकूल प्रभाव, वन्यप्राणी से संबंधित दुर्घटनाओं एवं प्रभावों का व्यापक (Comprehensive) आकलन कर वर्तमान पथ के चौड़ीकरण के आश्रयणी के वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर एक एकीकृत (Integrated) प्रतिवेदन सहित वन्यजीव के संरक्षण और वन्यजीव और उसके आवास के साथ-साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के Mitigation के उपायों (Comprehensive Wildlife Conservation and Mitigation Measures) पर मुख्य सुझाव समर्पित करना।
 - (c) प्रासंगिक सभी Stakeholders के साथ विचार विमर्श करना या जैसा उचित हो।

(d) समिति के अध्यक्ष को आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों/विशेष आमंत्रितों एवं अन्य से राय लेने/आमंत्रित करने का अधिकार होगा।


(e) समिति अपना अंतिम प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड को समर्पित करेगी।

(2) समिति की बैठक में भाग लेने हेतु समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को बैठक शुल्क (Sitting fee), TA&DA विभागीय अधिसूचना संख्या-3392 दिनांक-10.08.2018 द्वारा SEIAA एवं SEAC के सदस्यों के लिए निर्धारित दर के अनुरूप देय होगा।

(3) समिति द्वारा किए जाने वाले Studies तथा Report तैयार करने में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमंडल द्वारा की जाएगी।

(4) राशि की निकासी स्थापना व्यय (विस्तृत) के अंतर्गत मांग संख्या-19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी-उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी-लघुशीर्ष-101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण-उपशीर्ष-01-वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-प्राथमिक इकाई-29-व्यवसायिक सेवाएँ मद से की जाएगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

10/11/2022

 (राजू रंजन राय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-06/वन्यप्राणी-13/2021- 3251

व0प0, राँची, दिनांक- 09/11/2022

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-06/वन्यप्राणी-13/2021- 3251

व0प0, राँची, दिनांक- 09/11/2022

प्रतिलिपि-माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव, झारखण्ड के उप सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-06/वन्यप्राणी-13/2021- 3251

व0प0, राँची, दिनांक- 09/11/2022

प्रतिलिपि-सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग अलीगंज, नई दिल्ली-110003/वन उप महानिरीक्षक (वन्यप्राणी प्रभाग), वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

10/11/2022

 (राजू रंजन राय)

ज्ञापांक-06/वन्यप्राणी-13/2021- ३२५१

व0प0, राँची, दिनांक-०५/११/२०२२

प्रतिलिपि— Dr. Yogesh K Dubey, Professor Indian Institute of Forest Management, Post Box # 357, Nehru Nagar Bhopal (462 003) (MP)/ Mr. Ramamurthi Sreedhar, Managing Trustee, Environics Trust, New Delhi; 177, Nebasarai, Main Road, New Delhi-110068, Visiting Faculty: NALSAR, Hyderabad/ Tata Lakshmi Raghu Ram, Chairperson Centre for Ecology & Sustainability XLRI Jamshedpur, Flat No-96 XLRI Campus C.H. Area (East) Jamshedpur-831001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

११/११/२०२२

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-06/वन्यप्राणी-13/2021- ३२५१

व0प0, राँची, दिनांक-०५/११/२०२२

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह-बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी वन संरक्षक, झारखण्ड/वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमंडल/क्षेत्रीय पदाधिकारी, NHAI, मकान संख्या—B-402, Road No-4C अशोक नगर, राँची—834001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

११/११/२०२२

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-06/वन्यप्राणी-13/2021- ३२५१

व0प0, राँची, दिनांक-०५/११/२०२२

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को उक्त गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित।

११/११/२०२२

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-06/वन्यप्राणी-13/2021- ३२५१

व0प0, राँची, दिनांक-०५/११/२०२२

प्रतिलिपि—विभागीय नोडल पदाधिकारी ई—गवर्नेंस को विभागीय अधिसूचना upload करने हेतु/विभागीय नोडल पदाधिकारी ई—गजट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

११/११/२०२२

सरकार के संयुक्त सचिव